कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्रीमती रंजना गौड़, व्याख्याता (हिन्दी) रा. महात्मा गांधी उमावि, जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि, बुड़किया (जोधपुर) किया गया। श्रीमती रंजना गौड़ द्वारा इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या–15408/2019 श्रीमती रंजना गौड बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या–15408/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.19 द्वारा याचिकार्थिया श्रीमती रंजना गौड़ को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थिया श्रीमती रंजना गौड़ द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के विधवा होने के कारण रा. महात्मा गांधी उमावि, जोधपुर में यथावत रखने की परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

याचिकार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थिया का स्थानान्तरण जोधपुर जिले से जोधपुर जिले में ही किया गया है तथा याचिकार्थिया श्रीमती रंजना गौड़, व्याख्याता (हिन्दी) के स्थान पर अन्य कार्मिक का पदस्थापन हो जाने एवं उनके द्वारा कार्यग्रहण कर लेने के कारण पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में इनकी मांग न्यायोचित नहीं है। याचिकार्थियां द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थिया द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.10.2019 में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थिया के अभ्यावेदन निस्तारण कर स्थगित किया था। चूंकि श्रीमती रंजना गौड़ का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है। अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान

राउमावि, बुड़किया (जोधपुर) में व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर दिनांक– 08/11/19 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./रंजना गौड़/15408/2019/6 दिनांक– 05/11/19

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती रंजना गौड़ के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य, रा. महात्मा गांधी उमावि, जोधपुर/राउमावि, बुड़किया (जोधपुर)
9. कार्मिक श्रीमती रंजना गौड़, व्या0 हिन्दी, रा. महात्मा गांधी उमावि, जोधपुर ।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर